पत्र संख्या–जी.एस.टी./01/2020–21/रिफण्ड पखवाड़ा/

कार्यालय, कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 21 अप्रैल, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर उ0प्र0।

विषय : कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों में लम्बित जी0एस0टी0 रिफण्ड प्रार्थना पत्रों का शीर्ष प्राथमिकता पर दिनांक 23 अप्रैल 2020 से दिनांक 08 मई 2020 के मध्य निस्तारण किए जाने के सम्बन्ध में।

आप सभी अवगत हैं कि रिफण्ड दावों का समयबद्ध निस्तारण शासन एवं विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अनेक व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में लम्बित रिफण्ड के कारण टैक्सपेयर्स को हो रही आर्थिक कठिनाइयां शासन तथा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लायी गई हैं।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, महोदय के शासनादेश संख्या–264/2020/सी. एक्स.–3 दिनांक 16 अप्रैल 2020 द्वारा कतिपय प्रतिबंधों एवं सावधानियों का अनुपालन करते हुए दिनांक 20 अप्रैल 2020 से प्रदेश के राजकीय कार्यालयों को खोले जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस आदेश द्वारा COVID-19 Hot Spot से सम्बन्धित जनपदों में राजकीय कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को प्रदान किया गया है। जिसके क्रम में अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 21 जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों में विभागीय कार्यालय पूर्ववत् खोले गए हैं। जिन जनपदों में COVID-19 Hot Spot के कारण अभी तक विभागीय कार्यालय खोले जाने की स्थिति नहीं है, उन जनपदों के एडजुकेटिंग अथारिटीज को शासन के कार्मिक अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–315/सामान्य–का–4–2020 दिनांक 17.04.2020 के प्रस्तर संख्या–2 में अंकित "Work From Home" हेतु वांछित सुविधा सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर उपलब्ध करायी जा रही है। उल्लेखनीय है कि रिफण्ड प्रक्रिया पूर्णतया ऑन लाइन है तथा जी0एस0टी0 रिफण्ड प्रार्थना पत्रों की प्रोसेसिंग/निस्तारण में तृतीय श्रेणी कार्मिकों की कोई भूमिका नहीं है।

उक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत लम्बित जी0एस0टी0 रिफण्ड प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध निस्तारण हेतु निम्न निर्देश दिए जाते हैं:–

1. दिनांक 23 अप्रैल 2020 से दिनांक 08 मई 2020 के मध्य यथा सम्भव सभी लम्बित रिफण्ड प्रार्थना पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

2. एडजुकेटिंग अथारिटीज द्वारा रिफण्ड प्रार्थना पत्रों की प्रोसेसिंग/निस्तारण के समय सुसंगत नियमों, परिपत्रों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए "Due diligence" रखा जाए।
3. सम्पूर्ण रिफण्ड प्रक्रिया ऑन लाइन होने के कारण किसी भी टैक्स पेयर का कार्यालय आना अपेक्षित नहीं है इसके अतिरिक्त किसी भी टैक्स पेयर से भौतिक रूप से कोई प्रपत्र कार्यालय में दाखिल किया जाना वांछित नहीं है। स्पष्ट है कि जी0एस0टी0 रिफण्ड प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया में किसी भी टैक्स पेयर/उनके प्रतिनिधि/अधिवक्ता के कार्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
4. प्रत्येक एडजुकेटिंग अथारिटी की लॉगिन आई0डी0 पर लम्बित रिफण्ड प्रार्थना पत्रों का विवरण उपलब्ध है। सभी जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा अधीनस्थ एडजुकेटिंग अथारिटीज से लम्बित रिफण्ड प्रार्थना पत्रों का विवरण प्राप्त कर जोनल स्तर पर रिफण्ड प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु कार्य योजना तैयार करके निस्तारण की दैनिक समीक्षा की जाएगी।

कृपया सभी अधीनस्थ एडजुकेटिंग अथारिटीज को उक्त निर्देशों से अवगत कराते हुए शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में प्रकरण अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाएं।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उ0प्र0 शासन महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

Scanned with CamScanner